

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान



I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर - 334006



पत्रांक 07(ii)07/CS/FP Auction/2020-21/ 5893


दिनांक : 06.11.2020

संस्थान प्रक्षेत्र में उपलब्ध 100-125 क्विंटल लकड़ी /खेजड़ी की सुखी लकड़ी की नीलामी
सूचना (दिनांक.10.11.2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त:-

1. संस्थान प्रक्षेत्र में अनुसंधान प्रखंडों के विभिन्न जगह पर जहा है जैसी है की अवस्था मे लकड़ी /खेजड़ी की सुखी लकड़ी की नीलामी करनी है ।
2. उपरोक्त कार्य संस्थान कार्य दिवस में ही करना होगा (रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नहीं होगा) व सामान की निकासी गेट पास द्वारा (सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक) की जायेगी
3. उपरोक्त कार्यों के लिए संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
4. संस्थान की संपत्ति पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों ड्रिप प्रणाली व अन्य संसाधनों को अनुबंधक व उसके श्रमिकों द्वारा क्षतियस्त करने पर भरपाइ अनुबंधक को करनी होगी।
5. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नहीं लगाया जायेगा। यदि किसी भी स्तर पर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
6. प्राकृतिक आपदा, तेज आंधी, वर्षा, पाला पडना इत्यादी मौसमी परिस्थितियों से होने वाले नुकसान के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा एवं किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।
7. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में ₹.3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) जमा कराने होंगे।
8. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुबंध (नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) किया जायेगा एवं सक्षम अधिकारी स्वीकार करने पर ही कार्यादेश जारी किया जावेगा एव अनुबंधक कार्य शुरू करेगा।
10. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जावेगा। इस स्थिति में दूसरी अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

लगातार पृष्ठ सं.2 पर

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकड़ियों लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
12. संस्थान में अनुबंध पत्र स्वीकार करने के पश्चात लकड़ी /खेजड़ी की सुखी लकड़ी प्राप्त लकड़ियों को कार्यादेश जारी होने के एक माह में ले जाना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक उन लकड़ियों पर नहीं रहेगा। इस अवधि में लकड़ियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।
13. बोली की राशि पर लगने वाले सभी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. लकड़ियों ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा।
15. मे लकड़ी /खेजड़ी की सुखी लकड़ी के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
16. सफल बोलीदाता (अनुबंधक) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) लकड़ियों को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (No dues Certificate) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु अनुबंधक (ठेकेदार) को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
17. बोली में लेने से इच्छुक व्यक्ति/फर्म की बोली शुरु होने से पहले PAN/GST/ पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति संस्थान में जमा करवानी होगी।


(रमेश) 6.11.2020
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :-

1. सूचना पट्ट- कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर
2. सूचना पट्ट- प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर
3. फार्म मैनेजर, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर } सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर }
5. ✓ वैयक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर
6. प्रभारी, ए.के.एम.यू., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर - संस्थान की वेब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।